

डिगरी व मुकदमे इब्तादाई

(ओ. 20 ए. 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाडी जिला धौलपुर (राज०)
व इजलास श्री जी०एल० मीना (R.A.S.)

1. रामअवतार पुत्र केदार जाति ठाकुर निवासी ग्राम महुआखेडा तह० बाडी
बनाम

1. मु० रसकेन्द्री बेबा बादशाह
 2. दर्शन
 3. लखनलाल
 4. शिशपाल
 5. महेश
 6. प्रबन्धक पी.एन.बी. शाखा धूलकोट धौलपुर
 7. राज० सरकार जरिये तहसीलदार बाडी बहैसियत भूस्वामी
दावा दावत
- पुत्रगण } जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम
बादशाह } महुआखेडा तह० बाडी

मुकदमा नं. 56/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वयं
व हाजरी श्री मनोज सिंह एड० मिनजानिव मुद्दई श्री हरिविलास शर्मा एड०
मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है

दावा वादी तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रैजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम
डिक्री किया जाकर वादी व प्रति० के नाम तदनुरूप रिकार्ड पटवार ग्राम महुआखेडा तह०
बाडी में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1. रामअवतार पुत्र केदार कौम ठाकुर सा०देह खातेदार राहिन पी०एन०बी० शाखा धूलकोट
धौलपुर

खसरा नं०	रकवा
766	1-05
765/1	0-18
772	1-06
975/2	1-01
1045	1-03

कुल किता 5 कुल रकवा 5-13

2. रसकेन्द्री पत्नी बादशाह, दर्शन, लखनलाल, शिशपाल, महेश पि० बादशाह हि०ब० कौम
ठाकुर सा०देह खातेदार

खसरा नं०	रकवा
74	1-01
464	0-09
765/2	2-03
975/1	0-17
1052	1-03

कुल किता 5 कुल रकवा 5-13

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्की का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टिकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे।

नीज मुबलिग..... बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक को अदा करें।
 वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 01 साल 2018 को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी

मुहर

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प मरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील) रू0		
महनताना वकील) रू0			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बालत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोट इस फार्म पर कुल खर्चा हर रो फरीकेन का वाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या/नही खर्च करना चाहिये।

1
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला - धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - श्री जी०एल० मीना (आर०ए०एस०)

उनवान

रामअवतार

बनाम

रसकेन्द्री

1. रामअवतार पुत्र केदार जाति ठाकुर निवासी ग्राम महुआखेडा तह० बाडी

वादी :-

बनाम

- | | | | | |
|--|---|-------------------|---|--|
| 1. मु० रसकेन्द्री बेबा बादशाह | } | पुत्रगण
बादशाह | } | जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम
महुआखेडा तह० बाडी |
| 2. दर्शन | | | | |
| 3. लखनलाल | | | | |
| 4. शिशपाल | | | | |
| 5. महेश | | | | |
| 6. प्रबन्धक पी.एन.बी. शाखा धूलकोट धौलपुर | | | | |
| 7. राज० सरकार जरिये तहसीलदार बाडी बहैसियत भूस्वामी | | | | |

प्रतिवादीगण :-

उपरिथत वादी के वकील - श्री मनोजसिंह एड०

प्रति० के वकील - श्री हरिविलास शर्मा एड०

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा०का० अधि०

दावा सं. 56/2017

दिनांक :- 30.01.2018

निर्णय

दावा वादी दिनांक 01.11.2017 को प्राथमिक डिकी किया जाकर विवादित आराजी ख०नं० 74/1-01, 464/0-09, 765/3-01, 766/1-05, 772/1-06, 975/1-18, 1045/1-03, 1052/1-03 स्थित बांके ग्राम महुआखेडा तह० बाडी में मुताबिक राजीनामा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार बाडी को प्राथमिक डिकी एवं राजीनामा की प्रति भेजी गई। तहसीलदार बाडी ने कुर्रैजात प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये। तत्पश्चात बहस कुर्रैजात पर वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष द्वारा कुर्रैजात के अनुसार वादी का दावा डिकी किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रैजात का अवलोकन किया गया। मेरी राय में वादी का वाद अन्तिम डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रैजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिकी किया जाकर वादी व प्रति० के नाम तदनु रूप रिकार्ड पटवार ग्राम महुआखेडा तह० बाडी में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

1. रामअवतार पुत्र केदार कौम ठाकुर सा0देह खातेदार राहिन पी0एन0बी0 शाखा धूलकोट
धौलपुर

खसरा नं0	रकवा
766	1-05
765/1	0-18
772	1-06
975/2	1-01
1045	1-03


कुल किता 5 कुल रकवा 5-13

2. रसकेन्द्री पत्नी बादशाह, दर्शन, लखनलाल, शिशपाल, महेश पि0 बादशाह हि0ब0 कौम
ठाकुर सा0देह खातेदार

खसरा नं0	रकवा
74	1-01
464	0-09
765/2	2-03
975/1	0-17
1052	1-03

कुल किता 5 कुल रकवा 5-13

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिकी का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टिकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। निर्णय अनुसार अन्तिम डिकी जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
खण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) रा